(2008) 5 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 1207

सुरेश उर्फ हकला

बनाम

हरियाणा राज्य

(फौजदारी अपील सं. 1295/2006)

07 अप्रेल 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सथाशिवम-न्यायाधिपतिगण)

दण्ड संहिता 1860-धारा 302, 307 सपठित धारा 149 और 148-हत्या-दुश्मनी के कारण बंदूक की गोली से चोटें-निचले न्यायालयों द्वारा उक्त धाराओं में दोषसिद्धि-तीन अभियुक्तों द्वारा चुनौती-अपील में निर्धारित-दो अभियुक्तों की दोषसिद्धि उनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में होने के कारण उचित- अभियोजन साक्षीगण के द्वारा उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया हालांकि अन्य अभियुक्त की दोषसिद्धि अपास्त चूंकि उसका नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट एवं मूल कथन में नहीं था। उसकी भूमिका पृथक तरीके से वर्णित की गई-उसके शामिल होने हेतु कोई साक्ष्य नहीं थी-वह गवाहान को नहीं जानता था-किसी तरह की परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई थी।

अभियोजन प्रकरण के अनुसार दुश्मनी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर अभियुक्तगण एसएस, एलआर, बीएस एवं एससी के द्वारा एम-सरपंच पर

बंदूक से गोली चलाई गई। एम के साथ पी.डब्लू-14 एम के पिता डीआर तथा पी.डब्लू-15 आरपी थे। अभियुक्त पीपी के द्वारा साक्षियों को बंदूक की नोक पर धमकाया गया। अभियुक्तों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज, चैक एवं नकदी एम की जेब से निकाले एवं पी.डब्लू-14 की लाईसेंसशुदा बंदूक कार से ली गई एवं फरार हो गये। एम को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। पी.डब्लू-15 के भी गोली चलाने से चोटें कारित हुई। पी.डब्लू-14 के कथनों पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अनुसंधान शुरू किया गया। पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया तथा एम के मृत शरीर पर बंदूक की गोली की पांच चोटें पाई गई। अभियुक्त एससी, पीपी एवं एसएस गिरफ्तार किये गये। उनके प्रकटीकरण कथनों के आधार पर हथियार बरामद किये गये। विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जिनमें बीएस एवं एलआर भी थे, जिनके नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट में थे, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 307 सपठित 149 एवं धारा 148 के तहत दोषसिद्ध कर कारावास से दण्डित किया। अभियुक्त एस भी दोषसिद्ध किया गया, हालांकि उसका नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट में नहीं था लेकिन साक्षियों के अनुपूरक कथनों तथा पी.डब्लू-15 घायल गवाह के कथनों से उसका योगदान स्पष्ट था एवं वह जिस कार में अभियुक्त आये, उसका चालक था। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पुष्ट किया गया। इस प्रकार वर्तमान अपील अभियुक्तगण बीएस, एलआर एवं एस की तरफ से पेश की गई।

आपराधिक अपील सं. 1295/2006 की अनुमति दी गई तथा आपराधिक अपील सं. 1296/2006 खारिज की गई। न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया-

1- अभियुक्त बीएस और एलआर के नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट में थे। पी.डब्लू-14 एवं 15 द्वारा उन दोनों अभियुक्तों द्वारा अपराध में किये गये योगदान के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया। उनकी मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद नहीं थी। पी.डब्लू-15 एक घायल/मजरूब गवाह है। तथ्य के रूप में छर्रे की बरामदगी थी। चिकित्सक पी.डब्लू-2 की साक्ष्य पर आग्नेयास्त्र से चोटें संभव नहीं होने का लिया गया आधार सही नहीं है, उसके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया। इसके विपरीत उसके द्वारा आग्नेयास्त्र से चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकना कहा गया। प्रकरण में इन्हें देखते हुए अभियुक्त बीएस एवं एलआर की अपील आधारहीन है एवं खारिज की जाती है। (पैरा-7) (1214-ई-जी)

2.1- अपीलार्थी एस प्रथम इत्तला रिपोर्ट एवं मूल कथनों में नामजद नहीं था। घटना में उसका योगदान पी.डब्लू-14 एवं पी.डब्लू-15 द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से उल्लेखित किया गया। एस साक्षियों को नहीं जानता था। वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया कि पी.डब्लू-15 के द्वारा अभियुक्त एस को नहीं जानना स्वीकार किया गया। किसी तरह की परीक्षण पहचान परेड नहीं हुई। एस द्वारा मृतक को बाहर खींचे जाने में शामिल होने के संबंध में काफी भिन्नता है। एक साक्षी

द्वारा ऐसा किया जाना कहा गया एवं दूसरे द्वारा उसके द्वारा कार चलाई जा रही थी, का कहा गया। (पैरा-6 और 8) (आर 14-जी-एच, 1215-ए, 1214-सी-डी)

2.2- उच्च न्यायालय द्वारा इसलिए कि एस एक पूर्व नियोजित हत्या में चालक था, इसलिए ऐसे चालक का योगदान महत्वपूर्ण है, ऐसा निष्कर्ष अभियुक्त एस की भूमिका होने के संबंध में बिना किसी साक्ष्य के है, जबकि पी.डब्लू-15 के द्वारा यह कहा गया कि एस उपस्थित साक्षियों को धमका रहा था, पी.डब्लू-14 के द्वारा पृथक विवरण दिया गया। उसके द्वारा अभियुक्त एस के योगदान के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। इस प्रकार अभियुक्त एस की दोषसिद्धि बनाये नहीं रखी जा सकती एवं दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। (पैरा 9) (1215-बी-सी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार-आपराधिक अपील सं. 1295/06

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ के प्रकरण आपराधिक अपील संख्या 118-खण्डपीठ/2002 के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.10.2004 से।

संलग्न

आपराधिक अपील संख्या 1296/06,

नगिन्द्र राय, ऋषि मल्होत्रा एवं प्रेम मल्होत्रा-अपीलार्थी की तरफ से

नरेश बक्शी एवं टी.वी. जॉर्ज-प्रत्यर्थी की तफ से।

न्यायालय का निर्णय-श्री डॉ. अरिजीत पसायत-न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

1- उपरोक्त अपीलें समान रूप से संबंधित हैं एवं एक समान निर्णय द्वारा निस्तारित की गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलें आपराधिक अपील सं. 118-खण्डपीठ/2002 एवं आपराधिक अपील सं. 119-खण्डपीठ/2002 पेश की गई। एक अपील सुरेश उर्फ हकला (आपराधिक अपील सं. 1195/06 में अपीलार्थी) के द्वारा एवं अन्य अपील बलवंत एवं लादराम (आपराधिक अपील सं. 1296/06 में अपीलार्थीगण) की तरफ से पेश की गई। उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 670-खण्डपीठ/2001 बलवंत एवं लादराम के द्वारा पेश की गई निरस्त की गई। उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 670-खण्डपीठ/2001 में तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। अन्य आपराधिक अपील सं. 507-खण्डपीठ/2002 अभियुक्त शमशेरसिंह की तरफ से पेश की गई थी। संलग्न दोनों अपील में निर्णय को लागू किया।

2- संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य निम्नानुसार हैं -

15.7.1996 को लगभग 9.30 एएम पर रमेश (पी.डब्लू-14), महेन्द्र सरपंच (इसके आगे ''मृतक'' के रूप में संबोधित किया जावेगा), दुलीचंद (पी.डब्लू-15), देवराज एवं रिछपाल के साथ मृतक द्वारा चलाई जा रही जिप्सी में जा रहे थे। उनके ढाई किलोमीटर दूर सलेमगढ एवं मिंगनीखेरा

गांव के मध्य स्थित चितंग नहर के पास पहुंचने पर एक मारूति कार नंबर डीएल 4सी/8434 विपरीत दिशा से आई। जैसे ही कार जीप के पास आकर रूकी अभियुक्त शमशेर सिंह बाहर आया एवं देश में निर्मित पिस्टल/बंदूक से एक गोली चलाई जो जिप्सी के विण्ड स्क्रीन पर लगी जिसके फलस्वरूप मृतक महेन्द्र के द्वारा जिप्सी पर नियंत्रण खो दिया गया जिसके परिणामस्वरूप जिप्सी फिसलकर सड़क के किनारे रूक गई। इसके बाद शमशेर सिंह, लादराम, बलवंत, पिरथी पुनिक और 3-4 अन्य लोग कार से बाहर आये एवं महेन्द्र को जिप्सी से बाहर खींचा। शमशेर सिंह द्वारा अन्य गोली महेन्द्र के पेट के बांयी तरफ चलाई गई जबकि लादराम ने अपनी बंदूक से एक गोली महेन्द्र के बगल की बांयी तरफ नीचे की तरफ मारी और बलवंत के द्वारा देश में निर्मित पिस्टल से महेन्द्र के दांये फ्लैंक पर गोली चलाई गई, श्रीचंद के द्वारा अपने पिस्टल से एक गोली महेन्द्र के गुदा पर चलाई गई, श्रीचंद के द्वारा चिल्लाकर कहा गया कि महेन्द्र बचना नहीं चाहिये क्योंकि उसने उसके पुत्र भूपसिंह की हत्या की थी। पिरथी पुनीक साक्षियों पर बंदूक तानकर खड़ा रहा एवं उन्हें धमकाया गया कि यदि उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो वो उन्हें गोली मार देगा। अभियुक्त इसके बाद महेन्द्र के जीप में से उसकी रिवॉल्वर का लाईसेंस, एक ड्राईविंग लाईसेंस, एक पहचान पत्र एवं पचास हजार रूपये का एक चैक एवं कुछ नकदी तथा रमेश की अनुज्ञप्ति प्रदत्त बंदूक जो कि जिप्सी में रखी हुई थी, उसे ले गये एवं गांव काबरेल चले गये। इस दौरान काबरेल गांव की तरफ से एक टाटा 407 ट्रक आया जिसमें ताराचंद का पुत्र सुभाश एवं

दरियासिंह का पुत्र शिशपाल आ रहे थे और महेन्द्र को सिविल अस्पताल, हिसार ले जाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। फायरिंग में महेन्द्र के पिता दुलीचंद (पी.डब्लू-15) भी उनके चेहरे, माथे पर एवं दांये कंधे पर छर्रे लगने से चोटग्रस्त हुए। पुलिस थाने एक वायरलैस संदेश भेजा गया जिस पर एस.आई. धर्मचंद (पी.डब्लू-17) सिविल हॉस्पीटल पहुंचे तथा रमेश (पी.डब्लू-14) के बयान 1.00 पीएम के आसपास लेखबद्ध किये एवं इसके आधार पर एक औपचारिक प्रथम इत्तला रिपोर्ट प्रदर्श-एफएन पुलिस थाना सदर, हिसार में 1.40 पीएम पर दर्ज की गई एवं इलाका मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट 3.55 पीएम बजे भेजी गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा दुलीचंद की चिकित्सीय विधिक रिपोर्ट कब्जे में ली गई एवं पोस्टमार्टम परीक्षण के पश्चात मृत शरीर से कुछ छर्रे बरामद किये गये। श्रीचंद, पृथ्वी एवं शमशेर सिंह दिनांक 29.7.96 को गिरफ्तार किये गये एवं शमशेर सिंह से की गई पूछताछ से एक 12 बोर पिस्टल एवं पांच गोली तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किये गये। इसी तरह पृथ्वी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर एक 16 बोर श्रीचंद की लाईसेंससुदा बंदूक एवं दो गोली एवं दो जिंदा कारतूस बरामद किये गये। शमशेर सिंह के द्वारा भी प्रकटीकरण कथन किये गये एवं उसके आधार पर एक 12 बोर पिस्टल जो कि उसके द्वारा उसी दिन किसी अन्य हत्या के प्रकरण में उपयोग में ली गई थी, बरामद की गई। आयुध अधिनियम की धारा 25 का प्रकरण अभियुक्त शमशेरसिंह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त माखनसिंह यद्यपि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में नामजद नहीं था लेकिन घटना में शामिल होना पाया गया व

दिनांक 07.4.1998 को गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान के समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 302 सपठित धारा 149, 307 सपठित धारा 149 एवं 395 का आरोप लगाया गया एवं उनके द्वारा दोषी नहीं होने का अभिवचन किया गया जिस पर उन्हें विचारित किया गया।

अभियोजन के द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में निम्न पर विश्वास किया गया- डॉ. अरूण पी.डब्लू-1 जिनके द्वारा किये गये एक्स-रे में कोई अस्थिभंग नहीं होना बताया गया, डॉ. बी.एल. बागरी पी.डब्लू-2 हिसार के सामान्य हॉस्पीटल के डॉक्टर जिनके द्वारा दुलीचंद का 15.7.1996 को 12.25 पीएम पर परीक्षण किया गया था एवं तीन चोटें पाई थी, पी.डब्लू-3 डॉ. जे.एस. भाटिया वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पताल हिसार जिनके द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया एवं मृतक के शरीर पर पांच बंदूक की गोली की चोटें होना पाया गया एवं दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण रमेश (पी.डब्लू-14) एवं दुलीचंद (पी.डब्लू-15), एस.आई. धर्मचंद (पी.डब्लू-15) अनुसंधान अधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक अवतार सिंह (पी.डब्लू-21) की साक्ष्य पर विश्वास किया गया। अभियुक्तों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत लेखबद्ध किये गये जिनमें उन्होने उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार कर स्वयं का निर्दोष होना बताया गया। अभियुक्तों की तरफ से अपनी साक्ष्य में दो साक्षियों चरणजीतसिंह डीएसपी डी.डब्लू-1 जिनके द्वारा बलवंत का घटना के समय उपस्थित नहीं होना कहा गया एवं

प्रथम नामजद पूरी तरह से निर्दोष था जबकि बलवंत इस षड़यंत्र का एक हिस्सा था जिसके कारण हत्या हुई एवं सुमेरसिंह डी.डब्लू-2 जिसके द्वारा अभियुक्त शमशेरसिंह को निर्णय दिनांक 09.4.01 के जरिये उसी दिन एक अन्य हत्या करने के प्रकरण में दोषसिद्ध किये जाने के संबंध में अभिलेख पेश किये गये, विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभिलेख पर लिये गये तथ्यों से प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज करने में किसी तरह की देरी नहीं थी जिससे अभियुक्त की पहचान परीक्षण परेड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे प्रथम इत्तला रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने से पहले पहचाने जा चुके थे।

विचारण न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य के द्वारा मौखिक साक्ष्य/विवरण को समर्थित होना माना। चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में मामूली विसंगती को अनदेखा किया जा सकता है एवं कथनों को स्वीकार किया जा सकता है एवं प्रदर्श-14 एवं प्रदर्शपी-15 धातु के टुकड़े जो मृत शरीर से पाये गये वो अभियुक्त शमशेर सिंह से बरामद किये गये हथियार से मिलान होना पाये गये। न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त के शामिल होने पर यह निर्धारित किया गया कि बलवंत एवं लादराम प्रथम इत्तला रिपोर्ट में नामजद थे जबकि पृथ्वी और सुरेश का नाम हालांकि प्रथम इत्तला रिपोर्ट में नहीं था लेकिन साक्षीगणों के पूरक बयानों से एवं दुलीचंद मजरूब घायल गवाह के कथनों से स्पष्ट था एवं उपरोक्त भी प्रश्नगत मारूति कार का ड्राईवर था। न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि

शमशेरसिंह प्रकरण में मुख्य अभियुक्त था। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर उन्हें निम्नानुसार दण्डादेश दिया गया:-

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत सभी अभियुक्तगण	आजीवन कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपये के जुर्माने एवं जर्माने की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर महीनों के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के तहत सभी अभियुक्तगण	पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के जुर्माने से एवं जुर्माने की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने से दण्डित
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के तहत सभी अभियुक्तगण	एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित

सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा सभी अपीलें खारिज की गई थी।

3- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से पी.डब्लू-14 रमेश एवं पी.डब्लू-15 दुलीचंद की साक्ष्य पर विश्वास किया गया। दुलीचंद मृतक का पिता था जिसके चेहरे, माथे एवं दाये हाथ पर चोटें आई थी।

4- अपील के समर्थन में अपीलार्थीगण के विद्वान काउंसेल/वकील के द्वारा यह जाहिर किया गया कि पी.डब्लू-14 एवं पी.डब्लू-15 की साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। बचाव पक्ष का यह आधार कि घटना साढे नौ एएएम बजे के आसपास नहीं हुई थी बल्कि साढे छः एएम बजे के आसपास हुई थी, उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से अपाच्य भोजन और मल सामग्री की उपस्थिति के कारण साबित हो जाता है। अपीलार्थी बलवंत और लादराम अलग-अलग गांव के हैं एवं कथित दुश्मनी में किसी मकसद के लिये पक्षकार नहीं हो सकते हैं। पी.डब्लू-15 की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वह 10 फीट से आगे नहीं देख सकता है। चिकित्सक पी.डब्लू-2 की साक्ष्य से पांच चोटें स्थापित करती है। पांच चोटें थी जिनमें से कोई भी बलवंत एवं लादराम द्वारा नहीं पहुंचाई गई।

5- अभियुक्त सुरेश द्वारा पेश की गई अपील के समर्थन में यह जाहिर किया गया कि उसका नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट और मूल कथनों में नहीं था। तथाकथित पश्चातवर्ती पूरक कथनों में उसका नाम सामने आया। उसकी भूमिका के संबंध में अलग तरीके से उल्लेखित किया गया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि वह कार का चालक था।

6- सुरेश द्वारा मृतक को बाहर खींचने में शामिल होने के संबंध में बड़ा मतभेद/विभिन्नता है जिस संबंध में एक गवाह द्वारा उसके द्वारा ऐसा करने जबकि दूसरे द्वारा उसके द्वारा कार चला रहे होने का कथन किया गया है।

7- प्रत्यर्थी राज्य की तरफ से विद्वान काउंसेल/वकील के द्वारा निर्णय का समर्थन किया गया एवं यह जाहिर किया गया कि समवर्ती निष्कर्ष अभिलिखित होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं थी। बलवंतसिंह एवं लादराम के द्वारा दायर की गई अपील का संबंध है तो वे प्रथम इत्तला रिपोर्ट में नामजद थे एवं उनमें से प्रत्येक द्वारा किये गये योगदान के संबंध में पी.डब्लू-14 एवं पी.डब्लू-15 के द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। मौके पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध नहीं है। पी.डब्लू-15 एक घायल/आहत गवाह है। तथ्य के रूप में छर्रों की बरामदगी हुई है। चिकित्सक पी.डब्लू-2 की साक्ष्य के संबंध में लिया गया आधार कि आग्नेयास्त्र से चोटें आना संभव नहीं है, सही नहीं है। उनके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया। इसके विपरीत उनके द्वारा चोटें आग्नेयास्त्र से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कहा गया। प्रकरण में यह ध्यान रखते हुए बलवंतसिंह एवं लादराम की अपील निराधार है जो कि खारिज करने योग्य है। आपराधिक अपील सं. 1296/06 खारिज की जाती है।

8- अभियुक्त सुरेश द्वारा दायर की गई अपील के संबंध में यह कि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उसका नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट एवं मूल बयान में नहीं था। घटना में उसकी भूमिका पी.डब्लू-14 एवं पी.डब्लू-15 द्वारा अलग-अलग तरीकों से उल्लेखित की गई है, यह भी देखा जाना है कि सुरेश साक्षियों को नहीं जानता था। वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से पाया गया है या देखा गया है कि पी.डब्लू-15 ने यह

स्वीकारा है कि वह उसे पहले नहीं जानता था क्योंकि परीक्षण पहचान परेड नहीं थी।

9- उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्योंकि वह एक पूर्व नियोजित हत्या में चालक था, ऐसे चालक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह का अनुमानित निष्कर्ष अभियुक्त सुरेश की भूमिका होने के संबंध में बिना किसी साक्ष्य के है जबकि पी.डब्लू-15 के द्वारा यह कहा गया कि सुरेश उपस्थित साक्षीगण को धमका रहा था। पी.डब्लू-14 द्वारा एक अलग विवरण दिया गया। उसके द्वारा अभियुक्त सुरेश के शामिल होने के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया। किसी भी दृष्टि से देखने पर अभियुक्त सुरेश की दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती एवं वो अपास्त किये जाने योग्य है।

10- अपील संख्या 1295/06 स्वीकार की जाती है। अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में आवष्यकता नहीं होने पर तुरंत प्रभाव से रिहा किया जावे।

एन.जे.

आपराधिक अपील संख्या 1295/2006 स्वीकार की जाती है एवं आपराधिक अपील संख्या 1296/2006 खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।